उनवान सरकार बनाम जगराम बनाम रामलाल / जानकी हरिनारायण

मुकदमा नं0 30/16 निर्णय दि0 15-6-18

15/6/18 पत्रावली लोक अदालत मे न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नाहर खोहरा मे पेश हुई / पक्षकारन उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी से साबित है कि विवादित भूमि वादी / प्रार्थी जगराम के बाबा मोहरया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है तथा बाद मे वादी / प्रार्थी के पिता रामलाल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुई है। उक्त भूमि वादी / प्रार्थी की पुश्तैनी दादा-बाबा की संपत्ति है जिसमे वादी / प्रार्थी जगराम का भी हक व हिस्सा व कब्जा काश्त है। कानूनन बाबा की सम्पत्ति मे पोता का भी हक व हिस्सा होता है / वादी / प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है। अपूर्णीय क्षति की सूरत प्रार्थी को है। सुविधा व तुला संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। वादी / प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का कानूनन बेचान नही हो सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से तायफैसला वाद तक के लिए पाबंद किये जाते है कि विवादित भूमि ख०नं० 134, 164, 165, 166, 235, 445, 475, 476, 477 685, 823 कुल किता - 11 कुल रकबा 2.36 है० वाकेराम नाहर खोहरा तह० सिकराय जिला दौसा का अन्यत्र रहन, बय, बेचान, हस्तान्तरण नही करे तथा उक्त भूमि को प्रार्थी के कब्जे काश्त मे रहने दे, कब्जे काश्त प्रार्थी मे किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उत्पन्न नही करे। प्रार्थी को फसल बोने व काटने से नही रोके। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सैहणा--9929063597